न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार

आई०ए०एस०

निगरानी याचिका सं0 07/2009

लक्ष्मण पुत्र किशनलाल जाति बैरवा निवासी अलूदा तहसील दौसा

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत अलूदा तहसील दौसा जरिये सरपंच।
2. कृषि विस्तार कार्यकर्ता हैडक्वाटर अलूदा जरिये प्रभारी अधिकारी
3. कृषि विभाग, लालसोट रोड दौसा जरिये प्रभारी अधिकारी ।

...गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत अलूदा तहसील दौसा संकल्प सं0 16 दिनांक 15.12.1986 व उक्त संकल्प के तहत अप्रार्थी सं0 2 को जारी पट्टा दिनांक 15.1.1987

उपस्थित : 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता निगरानीकार।

—:: निर्णय ::—

दिनांकः 30.7.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत अलूदा द्वारा जारी पट्टा दिनांक 15.1.1987 को निरस्त करने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।
2. निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। ग्राम पंचायत अलूदा से मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. सर्वप्रथम दफा 05 मियाद अधिनियम पर अधिवक्ता निगरानीकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकार ने कथन किया कि ग्राम पंचायत अलूदा के संकल्प सं0 16 दिनांक 15.12.1986 व इसके तहत अप्रार्थी सं0 2 को जारी पट्टा दिनांक 15.1.87 की प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 8.6.2009 को कृषि विभाग के कर्मचारियों ने धमकी दी कि तुम्हारे कब्जे की भूमि में से 150 वर्गगज भूमि का पट्टा दिनांक 15.1.1987 को अप्रार्थी नं0 2 के नाम बना हुआ है या तो उक्त भूमि को खाली कर दो अन्यथा तहसीलदार पुलिस के मार्फत खाली करायेंगे, तब प्रार्थी ने पट्टे के बारे में पूछा तो उन्होनं बताया कि पट्टा ग्राम पंचायत ने दिया है इसलिए पट्टे में वर्णित भूमि खाली करायेंगे तब प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से नकल प्रार्थना पत्र पेश कर संकल्प सं0 16 दिनांक 15.12.1986 व उक्त प्रस्ताव के तहत जारी पट्टा दिनांक 15.1.1987 की नकल ग्राम पंचायत से चाही तो पट्टे की नकल तो दे दी किन्तु प्रस्ताव का रिकार्ड नहीं होना बताकरनकल नहीं दी। तब सर्वप्रथम उक्त पट्टे व प्रस्ताव की जानकारी हुई। इससे पूर्व कोई जानकारी पट्टे एवं प्रस्ताव के संबंध में जानकारी नहीं थी। निगरानी जानकारी से अंदर मियाद पेश की जा रही है। अतः दफा 05 मियाद अधिनियम पेश कर निवदेन है कि प्रार्थी को दफा 5 कानून मियाद का फायदा दिया जाकर प्रार्थी की निगरानी को अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता ने मियाद के बिन्दु पर कथन किया कि प्रार्थी को उक्त पट्टे की पूर्व में ही जानकारी रही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता निगरानीकार एवं राजकीय अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। अतः डिले कन्डोन किया जाकर निगरानी की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है [illegible] दफा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।
4. तत्पश्चात मूल निगरानी पर उभयपक्ष अधिवक्ता [illegible] बहस सुनी गई।

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन कि वाके ग्राम अलूदा की आबादी में प्रार्थी की कब्जेशुदा आबादी भूमि में गुवाडी स्थित है जिसकी बाउंड्री बनी हुई है व एक कोटडी ईंटों की बनी हुई है व छप्पर बना हुआ है जिसमें प्रार्थी परिवार सहित निवास करता है। उक्त गुवाडी की भूमि में से अवैध तरीके से ग्राम पंचायत अलूदा ने पंचायत कानून के सभी नियमों की अवहेलना करके विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी के कब्जे की भूमि में से पूर्व पश्चित 15 गज व उत्तर दक्षिण 10 गज कुल 50 वर्गगज भूमि का संकल्प सं0 16 दिनांक 15.12.1986 को ग्राम पंचायत अलूदा ने पारित किरके और दिनांक 15.1.1987 को अप्रार्थी नं0 2 के नाम अप्रार्थी नं 1 ने पट्टा जारी किर दिया। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध प्रक्रिया नियमो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पंचायत कानून के सभी नियमो की अवहेलना करके विधि विरूद्ध तरीके से उक्त निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्म्त निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो आपत्ति नोटिस निकाला ना ही आपत्ति नोटिस की तामील कराई ना ही कोई मौका निरीक्षण किया गया ना ही प्राथमिक व अन्तिम फैसला किया ना ही कब्जे की जांच की और विधि विरूद्ध तरीके से उक्त निर्णय पारित कर दिया। दिनांक 16.12.1986 व 15.1.1987 को कोई पंचायत की मीटिंग नहीं हुई बिना मीटिंग व बिना कोरम के निर्णय पारित किया है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। पट्टे पर किसी भी सरपंच के तस्ताक्षर नही है। सचिव को पट्टा देने का अधिकार नहीं है लेकिन कानून के विपरीत तरीके से उक्त पट्टा जारी किया गया है। पट्टे में वर्णित भूमि पर मौके पर प्रार्थी का कब्जा है। उक्त पट्टे में वर्णित भूमि व प्रार्थी की अन्य भूमि के बाउंड्री बनी हुई है कोटडी व छप्पर बना हुआ है। प्रार्थी मय परिवार उक्त भूमि में निवास कर रहा है। गलत तरीके से प्रार्थी की कब्जे की भूमि का अप्रार्थी नं0 2 को पट्टा देने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है। उक्त अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील पंचायत समिति में पेश करने के लिए प्रार्थी गया तो वहाँ पुराना फैसला होने के कारण अपील लेने से मना कर दिया जिस पर यह निगरानी पेश की जा रही अतः निगरानी मंजुर फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ ग्राम पंचायत अलूदा संकल्प सं. 16 दिनांक 15.12.1986 एवं इसके तहत अप्रार्थी सं0 2 को जारी पट्टा दिनांक 15.1.1987 को निरस्त फरमाया जावे।

6. गैर निगरानीकार सं0 1 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत अलूदा द्वारा दिनांक 15.1.1987 को कृषि विस्तार कार्यकर्ता के नाम से हैडक्वाटर हेतु पट्टा दिया गया है जिसकी नाप पूर्व से पश्चिम 15 वर्गगज एवं उत्तर से दक्षिण 10 वर्गगज कुज 150 वर्गगज है। उक्त पट्टाशुदा भूमि पर निर्माण कार्य कराने हेतु जिला भू संरक्षण अधिकारी गणेश मार्ग, बापू नगर, बी–23, जयपुर को सहायक निदेशक कृषि विस्तार दौसा के पत्र दिनांक 10.2.1987 को भिजवाया गया किन्तु बजट के अभाव में निर्माण कार्य नहीं करवाया जा सका भूमि पर कब्जा जारी रहा है। प्रार्थी ने पट्टाशुदा भूमि पर अतिक्रमण करने हेतु पत्थर की बाउंड्रीवाल बनाने का कार्य चालू करना शुरू किया तब कृषि पर्यवेक्षक आलूदा द्वारा दिनांक 11.5.2007 कों सरपंच, अलूदा को अतिक्रमण [illegible] वेदन किया तथा सरपंच, ग्राम पंचायत अलूदान ने तत्काल कार्यवाही [illegible] हेतु नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बंद करवाया। दिनांक 4.6.2009 को ग्रामवासियों ने पुनः अतिक्रमण करने की जानकारी दी उसके तत्काल बाद दिनांक 4.6.2009 को पट्टाशुदा जमीन पर बोर्ड लगवाया गया जिसको दिनांक 5.6.2009 को अतिक्रमी द्वारा तोड दिया गया। उक्त कार्यवाही की जानकारी कृषि पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 9.6.2009 को दी गई उसकी आवश्यक कार्यवाही हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

विभाग के पत्र दिनांक 9.6.2009 द्वारा श्रीमानजी को अतिक्रमण हटवाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश दौसा के समक्ष वाद सं0 68/2009 उनवानी लक्ष्मण बनाम कृषि विस्तार कार्यकर्ता वगै0 में निर्णय दिनांक 22.12.2016 के अनुसार निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया गया। विधि के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा विभाग के पक्ष में जन कल्याण हेतु सरकारी योजना के अनुसार पट्टा जारी किया गया है जिस पर विभाग का कब्जा है तथा विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। सरकार द्वारा बजट आवंटन के पश्चात ही उक्त आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य करवा दिया जायेगा। प्रार्थी द्वारा विभाग को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत द्वारा विभाग के पक्ष में जारी विलेख दिनांक 15.1.1987 के विरूद्ध निगरानी की गई है जो सारहीन व तथ्यों के विपरीत है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुंत निगरानी मय हजे खर्चे निरस्त फरमाई जावे।

8. उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. प्रार्थी का मुख्य कथन है कि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है जिस पर उनके द्वारा बाउंड्री बनी हुई है, कोटडी व छप्पर बना हुआ है जिस पर वह निवास कर रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध जाकर यह पटटा जारी किया गया है। (संकल्प सं0 16 दिनांक 15.12.1986) ग्राम पंचायत का कथन है कि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में पत्रावली उपलब्ध नहीं है। हालांकि पट्टे की प्रमाणित प्रति जो कि सरपंच ग्राम पंचायत आलूदा के द्वारा जारी की गई है वह इस पत्रावली में संलग्न है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि यह भूमि चरागाह भूमि रही है जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। हमारे समक्ष हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त पटटा चरागाहा भूमि में जारी किया गया है। किन्तु यदि इसे सच भी मान लिया जाये तो प्रार्थी स्वयं अतिचारी के रूप में उस पर काबिज है (यदि उक्त भूमि पर उसका अतिक्रमण है) चूंकि उक्त पट्टा कृषि विस्तार कार्यालय हेतु वर्ष 1986 में जारी किया है एवं यह निगरानी दिनांक 15.6.2009 को इस प्रस्तुत की गई है, जो कि 23 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत की गई है। अतः हम उक्त जारी किये गये पट्टे में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उप निदेशक कृषि विस्तार दौसा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:07 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official